Appointment of part-time workers in A.I.R. District Headquarters

3482. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government decided to appoint part-time workers in AIR in District headquarters; and

(b) if so, when they will be appointed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI N. K. P. SALVE): (a) and (b). A.I.R. already has part-time Correspondents at the important district headquarters in the country. Presently such part-time Correspondents are functioning at 157 centres in the entire country.

राजस्थान में गैस एजेंसियों का आवंटन

3483. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में राजस्थान के कितने शहरों को गैस सिलेंडर दिए गए और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) 1982-83 में कितने और स्थानों को गैस एजेंसियां आवंटित की जाएंगी ;

(ग) राजस्थान के उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा 1983-84 में गैस एजेंसियां आवंटित की जाएंगी ;

(घ) क्या गैस एजेंसी मंजूर करने के नियमों को आसान बनाया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या बांरा शहर (कोटा राजस्थान) से प्राप्त आवेदनों की छानबीन अभी पूरी नहीं हुई है तथा इस शहर के लिए वितरक एजेंट कब तक नियुक्त किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह): (क) तेल कम्पनियों द्वारा 1980-81 और 1981-82 की योजना के प्रति राजस्थान में दी जाने वाली कुल 48 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 30-9-1982 को निम्नलिखित स्थानों पर 43 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान की गई थीं :

जावर
जयपुर (6)
सिरोही
नागौर
बीकानेर (4)
झालावार
अजमेर(3)
जोधपुर (5)
कोटा (2)
डूंगरपुर
जैसलमेर
अलवर (2)
भरतपुर (2)
सवाई माधोपुर
टोंक
ब्यावर
माउंट आबू
चित्तोड़गढ़
भीलवाड़ा
उदयपुर
गंगानगर
बूंदी
सीकर
चुरू
जालोर
पाली

शेष 5 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जो दी जानी थीं वे जयपुर, बाढ़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा और श्री गंगानगर के स्थानों पर दी जानी हैं।

(ख) 1982-83 के लिए संशोधित एल. पी. जी. रोस्टर में उद्योग ने राजस्थान में 17 स्थानों को शामिल किया है।

(ग) 1983-84 की योजना अभी उद्योग द्वारा निश्चित की जानी है।

(घ) डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने की संशोधित नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ङ) बाड़ा में 20 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने की योजना है। तथापि, 1982-83 की योजना में बारन में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना शामिल किया गया है जिसके लिए दिनांक 7-4-82 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, परन्तु 1982-83 की योजना से आगे नीति/पद्धति में संशोधन किया जाना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

धनबाद में ईंटों के भट्टों के लिए उपयुक्त किस्म का कोयला सप्लाई न किया जाना

3484. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद कोयला क्षेत्र में "हार्ड कोक" का प्रयोग करने वाले ईंटों के भट्टों का काम, उपयुक्त किस्म के कोयले की सप्लाई न होने के कारण बन्द होने वाला है तथा 40,000 श्रमिक भुखमरी के कगार पर बैठे हैं ;

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा में "हार्ड कोक" का प्रयोग करने वाले ईंटों के भट्टों को प्रतिदिन कोयले के रेकों की सप्लाई करके स्थानीय उद्यमियों के प्रति भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है ; और बिहार में ऐसे उद्यमियों की संख्या क्या है और उनकी मांग कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार बिहार सरकार तथा चेम्बर आफ कामर्स, धनबाद, के अनुरोध पर बिहार के उद्योगों को उपयुक्त किस्म के "हार्ड-कोक" की सप्लाई को सुनिश्चित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Waiting list for New Telephone Connections in Kerala

3485. SHRI A. NEELALOHITHA DASAN NADAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) how many persons are in the waiting list for new telephones in Kerala; and

(b) when those persons are expected to be given telephone connections with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) There are 23,826 persons on waiting list on 31-8-82.

(b) About 6,000 telephone connections are expected to be given during 1982-83. Majority of the remaining connections are likely to be provided before the end of 6th Five Year Plan.

बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में निजी संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

3486. **श्री भीम सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई निजी संगठनों के बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उन रिपोर्टों पर क्या प्रतिक्रिया है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर): (क) से (ग). बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में निजी संगठनों, अभिकरणों, व्यक्तियों आदि से समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती है। ऐसी रिपोर्टें शिकायतें राज्य सरकारों को भेजी जाती है, जो उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं।